*लोक सभा*

*तारांकित प्रश्न सं०:-*160*
*उत्तर देने की तारीख : 08.03.2016*

छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु धनराशि

*160. श्री लक्ष्मी नारायण यादवः
श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों की मांग के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि जारी की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मांगी गई धनराशि और वास्तव में जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय मामलों में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा धनराशि समय पर नहीं जारी की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशि जारी किए जाने में विलम्ब होने के कारण बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों ने सरकार से छात्रवृत्ति योजनाओं की धनराशि को समय पर जारी करने का आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनराशि समय पर जारी करने और यह सुनिश्चित करने कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिले, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावर चंद गेहलोत)

(क) से (ड़): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

******

**छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु धनराशि के बारे में श्री लक्ष्मी नरायण यादव और श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पूछे गया दिनांक 08.03.16 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 160 के भाग (क) से (इ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**(क) से (इ):** सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को निधियां जारी करती हैः

(i) कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(iii) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(iv) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

केन्द्र सरकार अनुसुचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) को छोड़कर अन्य सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय पूर्ण केन्द्रीय सहायता (सीए) जारी करती है। केन्द्र सरकार के लिए अपर्याप्त आवंटन के कारण पीएमएस (एससी) के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सम्पूर्ण देय केन्द्रीय सहायता जारी करना संभव नहीं रहता है। तथापि, जैसे ही निधियां उपलब्ध हो जाएंगी, केन्द्रीय सहायता अविलंब जारी कर दी जाएगी। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, पीएमएस (एससी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग की गई और वास्तविक रूप से जारी की गई निधि के राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न हैं।

कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना, जहां मांग पूर्ण रूप से पूरी की गई थी, के अंतर्गत जारी निधि के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के लिए राज्यों की पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष, इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया गया कुल बजट विभाजित किया जाता है और अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी कुल जनसंख्या (2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार) के आधार पर सैद्धांतिक आबंटन के आधार पर आबंटित किया जाता है क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार सही जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सैद्धांतिक आबंटन की सूचना दी जाती है और उन्हें अपने सैद्धांतिक आबंटन के भीतर प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से छात्रवृत्तियों की संख्या को केन्द्रीय सहायता तथा राज्य की प्रतिबद्ध देयता की सीमा तक सीमित रखने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, वे अतिरिक्त मांग के लिए राज्य योजनागत आबंटन से योजनाओं के अंतर्गत अपने व्यय को सम्पूरित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर और मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यवार मांग की गई निधि और वास्तविक रूप से जारी की गई निधि का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न हैं।

***